रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 31/2020/1268 प्रो०/51-2020-14(10)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकार
आगरा ।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषयः जनपद आगरा में पधारने वाले मा० राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार आदि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 491/प्रोटोकाल, दिनांक 03 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 4,17,992=00 (रूपये चार लाख सत्तरह हजार नौं सौं बानबे मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्य सं०/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या**	**धनराशि**
1-	श्री राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 10-02-2019 से 13-02-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/002, दिनांक 01-04-2019	रू० 42,447=00
2-	श्री राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 14-02-2019 से 17-02-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/004, दिनांक 01-04-2019	रू० 39,616=00
3-	श्री जे०पी० नड्डा जी, मा० स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 29-01-2019 से 30-01-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/013, दिनांक 01-04-2019	रू० 4,410=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	श्री राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 27-02-2019 से 03-03-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/010, दिनांक 01-04-2019	रू० 50,751=00
5-	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, मा० कृषि मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 31-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/0161, दिनांक 09-12-2019	रू० 3,676=00
6-	श्रीमती बेबीरानी मौर्या जी, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड। दिनांक 26-11-2019 से 29-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0157, दिनांक 09-12-2019	रू० 15,712=00
7-	मा० न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, मा० उच्च न्यायालय, भारत सरकार। दिनांक 21-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/0147, दिनांक 06-11-2019	रू० 3,676=00
8-	श्रीमती बेबीरानी मौर्या जी, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड। दिनांक 23-10-2019 से 26-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-4508, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/0145, दिनांक 06-11-2019	रू० 29,108=00
9-	मा० न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह जी, मा० उच्च न्यायालय, पटना । दिनांक 04-10-2019 से 06-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/0146, दिनांक 06-11-2019	रू० 8,489=00
10-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 13-11-2019 से 14-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0156, दिनांक 09-12-2019	रू० 13,454=00
11-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 01-11-2019 से 04-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0155, दिनांक 09-12-2019	रू० 50,568=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 06-11-2019 से 08-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0154, दिनांक 09-12-2019	रू० 39,507=00
13-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 30-11-2019 से 01-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0153, दिनांक 09-12-2019	रू० 32,960=00
14-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 24-11-2019 से 25-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0152, दिनांक 09-12-2019	रू० 32,056=00
15-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 09-11-2019 से 12-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0151, दिनांक 09-12-2019	रू० 51,562=00
	(रूपये चार लाख सत्तरह हजार नौ सौ बानबे मात्र) कुल योग	रू० 4,17,992=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

<u>संलग्नकः (15 देयक मूलरूप में)</u>

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 31/2020/1268(1) प्रो०/51-2020-14(10)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा ।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।